पत्रांकः–BMSIC/80035/06-2014/1518 दिनांक 09/07/2018

प्रेषक,

महाप्रबंधक (परियोजना)
बी0एम0एस0आई0सी0एल0,
पटना।

सेवा में,

मेसर्स हरिशंकर प्रसाद
ग्राम–गदाईचक, पो0–महदेइया
थाना–मीनापुर, जिला–मुजफ्फरपुर
पिन–843128

विषयः– **सदर अस्पताल, छपरा सारण में जी0एन0एम0 ट्रेनिंग स्कूल एवं छात्रावास का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं करने के कारण आपको** Debar **करने के संबंध में।**

प्रसंगः– निगम का पत्रांक– BMSIC/80035/06-2014/293 दिनांक 25/04/2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसांगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित परियोजना का कार्यादेश आपको दिनांक–26.11.2014 को निर्गत किया गया। उक्त भूखण्ड दो चरणों में यथा 26.11.2014 एवं दिनांक–02.03.2016 को सिविल सर्जन, सारण द्वारा उपलब्ध करा दिया गया। कार्यादेश के कंडिका 05 के अनुसार दिनांक–01.09.2017 तक भवन का सभी कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था। परन्तु अभी तक मात्र 70 प्रतिशत कार्य ही आपके द्वारा पूर्ण किया गया है। विदित हो कि कार्य ससमय पूर्ण नहीं करने हेतु निगम द्वारा आपसे स्पष्टीकरण पूछा गया एवं मोबाईल द्वारा एवं कार्यस्थल पर भी व्यक्तिगत रूप से अनेकों बार निदेशित किया गया। इसके साथ ही उस कार्य के सुपरविजन परामर्शी EDMAC ENGINEERING CONSULTANT के पत्रांकः-EDMAC/REC/BS-04/03/2017 दिनांकः–14.03.2017, BS-04/10/2017 दिनांक– 02.01.2017 एवं BS-04/04/2018 दिनांक– 08.05.2018 द्वारा कार्य की धीमी प्रगति हेतु आपको पत्र दिए गए परन्तु उक्त कार्य ससमय पूर्ण करने की दिशा में आपके द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई, जिसके कारण सरकार द्वारा स्वीकृत इस परियोजना का लाभ निर्धारित समयावधि तक आम लोगों को नहीं पहुँच सका।

उपर्युक्त कारणों से निगम द्वारा आपको Debar करने हेतु एक कारण पृच्छा भेजी गई थी, जिसके उत्तर में आपका जबाव निम्नवत् थाः–

(1) बिना स्थल उपलब्ध कराए कार्यादेश निर्गत किया गया। आपका उत्तर असंतोषजनक है। उल्लेखनीय है कि आपको पहले चरण में दिनांकः–26.11.2014 को भूखंड उपलब्ध कराया गया, परन्तु

4th floor, Bihar State Building Construction Corporation Limited
Hospital Road, Shastri Nagar, Patna 800 023
Phone/Fax; +91 612 2283287, +91 612 2283288
www.bmsicl.gov.in

आपके द्वारा उस भूखंड पर बनने वाले Acedemic Block को बनाने में काफी विलंब किया गया और आज तक उपरोक्त भवन का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है।

(2) आपके द्वारा बताया गया कि भुगतान समय पर नहीं किया गया। आपके द्वारा इस परियोजना की कुल एकरारित राशि रूपया 10,19,74,728/- मात्र है जिसका कार्य के दौरान 25 प्रतिशत तक की राशि आपको स्वयं वहन करना है, परन्तु आपके द्वारा जो राशि स्वयं वहन करना था उस राशि का वहन आपने नहीं किया। कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि आपके द्वारा प्रथम चरण लेखा विपत्र से 11 वाँ लेखा विपत्र तक प्रत्येक विपत्र की राशि 15 प्रतिशत से भी कम व्यय दर्शाया गया है। इसके साथ ही उक्त अवधि में निगम द्वारा आपको रूपया 48,72,853/- का Secured Advance भी दिया है। अतः ससमय भुगतान नहीं करने संबंधी आपका कथन तथ्यहीन है।

(3) आपके द्वारा बालू नहीं मिलने की समस्या बताई गई है। इसके संबंध में कहना है कि आपके द्वारा जिस समय एकरारनामा किया गया उस अवधि में बालू की कोई कमी नहीं थी। उसी अवधि में अन्य संवेदकों द्वारा कई परियोजनाएँ पूरी की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा जानबुझकर परियोजना निर्माण में अत्याधिक विलंब होने के कारण बालू की कमी को समस्या के रूप में दर्शाया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपके द्वारा दिए गए उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः SBD के कंडिका 3.3 एवं 4.8 में निहित प्रावधानों के तहत आपको लंबित कार्य पूरा होने तक किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। साथ ही निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त कार्य दो माह के अन्दर पूर्ण कर भवन अस्पताल प्रशासन को उपलब्ध कराएँ, ताकि आपको उपर्युक्त Debarment से मुक्त किया जा सके।

विश्वासभाजन

9.7.18

महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna

(2/2)